"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 जनवरी 2012—पौष 14, शक 1933

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक 12/12/2012/सक/26.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**ग्रामीण क्षेत्र**	**पेंशन स्वीकृति**		**ग्रामीण क्षेत्र**		
	1. ग्राम पंचायत	1. नवीन आवेदन के पेंशन स्वीकृति	60 कार्य दिवस	1. ग्राम पंचायत सचिव	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	शहरी क्षेत्र 2. नगर पंचायत	2. पेंशन का भुगतान	प्रतिमाह 7 तारीख	**शहरी क्षेत्र** 2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत	2. तहसीलदार	2. कलेक्टर/ अपर कलेक्टर
	3. नगर पालिका	3. पेंशन के संबंध में शिकायत की जांच	60 कार्य दिवस	3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	3. कलेक्टर/ अपर कलेक्टर
	4. नगर निगम			4. उपायुक्त/सहायक आयुक्त, नगर निगम	4. आयुक्त नगर निगम	4. कलेक्टर/ अपर कलेक्टर
2.	**ग्रामीण क्षेत्र** 1. ग्राम पंचायत	**राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना**– नवीन प्रकरणों में स्वीकृति	21 कार्य दिवस	**ग्रामीण क्षेत्र** 1. ग्राम पंचायत सचिव	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
	शहरी क्षेत्र 2. नगर पंचायत			**शहरी क्षेत्र** 2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत	2. तहसीलदार	2. कलेक्टर/ अपर कलेक्टर
	3. नगर पालिका			3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	3. कलेक्टर/ अपर कलेक्टर
	4. नगर निगम			4. उपायुक्त/सहायक आयुक्त, नगर निगम	4. आयुक्त नगर निगम	4. कलेक्टर/ अपर कलेक्टर
3.	**ग्रामीण क्षेत्र** 1. प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्चतर विद्यालय	विकलांग छात्रवृत्ति	60 कार्य दिवस	1. प्रधान पाठक/ प्राचार्य	1. संयुक्त संचालक/ उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण	1. कलेक्टर/ अपर कलेक्टर
	शहरी क्षेत्र 2. प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्चतर विद्यालय/ महाविद्यालय/ विशेष विद्यालय			2. प्रधान पाठक/ अधीक्षक/प्राचार्य	2. संयुक्त संचालक/ उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण.	2. कलेक्टर/ अपर कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	1. कार्यालय जिला प्रबंधक जिला छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम	विकलांगों का पुनर्वास-ऋण प्रकरण निरीक्षण कर पात्रता संबंधी रिपोर्ट करना	45 कार्य दिवस	जिला प्रबंधक छ.ग. नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम	प्रबंध संचालक छ.ग. नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम	संचालक/अपर संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, छ.ग.
	प्रबंधक संचालक छ.ग. नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम	1. निगम से ऋण की स्वीकृति 2. ऋण राशि प्रदाय	30 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	महाप्रबंधक	प्रबंध संचालक	संचालक/अपर संचालक पंचायत एवं समाज सेवा, छ.ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.